राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 231/2014 दायर दिनांकः–12.06.2014

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. प्रताप पुत्र मोड़ा जाति जाट उम्र लगभग 75 वर्ष, निवासी बड़वालों की ढाणी, नवां तहसील रूपनगढ़
....वादी

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र उदा जाति जाट, निवासी बड़वालों की ढाणी, नवां तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर
2. सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब, रूपनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान।
3. बैंक ऑफ बडौदा शाखा रूपनगढ़।

.......प्रतिवादीगण

विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय दिनांक 01.12.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रूपनगढ़ पटवार हल्का रूपनगढ़ भू0अ0नि0 क्षेत्र रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान के संयुक्त खातेदारी की भूमि ख0न0 1045 रकबा 08–01 बीघा किस्म बारानी–2 स्थित है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या का 1/2 – 1/2 हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ने यद्यपि उक्त वर्णित भूमि को बांट रखा है, वादी उत्तरी हिस्से पर काबिज है तथा प्रतिवादी संख्या 01 दक्षिणी हिस्से पर काबिज है किन्तु हर वर्ष सीमांकन को लेकर प्रतिवादी संख्या 01 विवाद उत्पन्न करता है। अतः वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अपने 1/2 हिस्से का विभाजन न्यायालय की डिक्री से करवा ले। वाद कारण दिनांक 17.02.2013 को तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 ने सीमांकन संबंधी विवाद किया तथा वादी को यह धमकी दी कि वह उसे अपने 1/2 हिस्से की भूमि को शांतिपूर्वक काश्त नहीं करने देगा। वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की प्रदान करावे कि प्रतिवादी संख्या 01 स्वयं अथवा उसके परिवार के सदस्य, नौकर चाकर अथवा अभिकर्ता वादी के 1/2 हिस्से की भूमि में कभी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुये। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जवाब पेश किया गया, प्राप्त जवाब अनुसार वाद वर्णित आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक सम्पति है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 एक ही परिवार के वंशज है तथा पारिवारिक बंटवारे में उक्त ख0न0 1045 रकबा 08–01 बीघा में प्रतिवादी संख्या 01 का दक्षिण दिशा में 06 बीघा कृषि आराजी भाई बंटवारे के अनुसार आयी है एवं वादी का उक्त ख0न0 1045 पर भाई बंटवारे अनुसार उत्तर दिशा में 02–01 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की भूमि के मध्य डोल लगाकर मौके पर बंटवारा किया हुआ है लेकिन वादी राजस्व रिकार्ड में उसके नाम उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा नियत होने से उसके आड़ में भाई बंटवारे में आयी अतिरिक्त भूमि वादी, प्रतिवादी संख्या 01 से अवैध रूप से छिनना चाहता है। अन्य प्रतिवादीगण की ओर से प्रकरण में जवाब पेश नहीं किया गया। वादी की ओर से शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. वास्ते साक्ष्य हेतु पेश किया। जिस पर उनके बयान लिये ग[illegible]दी संख्या 1 की ओर से भी शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. वास्ते साक्ष्य हेतु [illegible] कि[illegible] कई अवसर दिये जाने के बावजूद जिरह हेतु प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित नहीं होने से जिरह बन्[illegible] गई। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश दिये गये। इस हेतु तहसीलदार [illegible] को कमिश्नर नियुक्त किया ग[illegible] तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से कमिश्नरी रिपोर्ट [illegible] प्राप्त कमिश्नरी रिपोर्ट [illegible]यपक्ष की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.04.12 11:31:03 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उभय पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली के अध्ययन, अवलोकन के पश्चात प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की जाकर ग्राम रूपनगढ़ के ख0न0 1045 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा भूमि रिकॉर्ड में निम्नानुसार अंतरण करने के आदेश दिये जाते है–

ग्राम–रूपनगढ़

क0 सं0	नाम खातेदार	ख0 नम्बर	रकबा (है0)	किस्म
1	प्रताप पुत्र मोडा जाति जाट	1045/1	0.6512	बा0 2
2	रामेश्वर पुत्र उदा जाति जाट	1045/2	0.6512	बा0 2

तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। कमिश्नरी रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस अंतिम डिक्री का भाग होगा। प्रतिवादी संख्या 01 व उसके परिजन, नौकर चाकर को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के हिस्से में बंटवारे के बाद आयी आराजी में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे, किसी प्रकार का झगड़ा फसाद नहीं करे, वादी के उपयोग व उपभोग में बाधा कारित नहीं करे।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.04.12 11:31:03 IST
Reason: SelfAttested